न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 95 / 2021

उनवान

पुष्पा देवी पत्नी मूलचन्द जाति नाई नि0 ग्राम मावशिया, नसीराबाद (मृत जरियें वारिसान)
1. किशोर कुमार
2. रवि कुमार
3. बीना वर्मा पि0 मूलचन्द जाति नाई, नि0 ग्राम मावशिया, नसीराबाद
—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री जितेन्द्र गुर्जर

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— प्रतिवादी :– जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राज0 अधि0 1956

दिनांक :– 29.5.23

—: निर्णय :—

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मावशिया की निम्न आराजी वादी के पति की आवंटनशुदा है :–

वंर्किंग ख0न0	कुल रकबा	आवंटित रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
1632	23–8–10	7–0–0	699	2.46
			700	0.03
			701	1.30
1629	33–0–0	5–0–0	692	1.09
			693	0.81
			694	0.81
			695	0.81
				2.54

ग्राम व प0म0 मावशिया के वंर्किंग [illegible] नम्बर [illegible] 2 र[illegible] 23–8–10 व 1629 रकबा 33–0–0 में से वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी के पति / पिता [illegible] 75 को कमशः 7–0–0 व 5–0–0 कुल 12–0–0 भूमि [illegible] मान तहसीलदार नसीराबाद के [illegible] सहायक कलक्टर [illegible] व कमांक / भूअ / 96 / !635 दिनांक 14.02.96 व प्रासंगिक [illegible] 304 / 13.2.96 [illegible] अनुसार नामान्तकरण [illegible] प्रभारी अधिकारी / रा0अ0 प.स. श्रीनगर पत्र 304 / 13.2.96

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:15:05 IST
Reason: SelfAttested

157 दिनांक 15.2.96 से वादी के पति के नाम गैर खातेदारी दर्ज की गयी। उक्त आवंटन दिनांक से वादी/पूर्वज आराजी मुतनाजा पर काबिज काश्त चले आ रहे है। किन्तु वंकिंग खसरा नम्बर 1629 के हाल खसरा नम्बर 700 रकबा 0.03, 71 रकबा 1.30 व 699/2.46, तथा वंकिंग खसरा नम्बर 1632 के हाल खसरा नम्बर 692/1.09, 696/2.56 को मूलचन्द पुत्र रामस्वरूप के नाम खातेदारी दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया वंकिंग खसरा नम्बर 1632 के हाल खसरा नम्बर 693/0.81, 694/0.81, 695/0.81 को पूर्व अनुसार अन्य व्यक्तियों के नाम खातेदारी दर्ज कर दिया किन्तु वादी के पति के नाम पूर्व अनुसार भूमि दर्ज नही की गयी। अतः हाल खसरा नम्बर 696 रकबा 2.56 में से 1.12 व 699 रकबा 2.46 में से 0.80 की आराजी पर वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि हाल खसरा नम्बर 692/2643 रकबा 0.80 पर मूलचन्द पुत्र रामस्वरूप गैर खातेदार दर्ज है। वंकिंग खसरा नम्बर 1632 के हाल खसरा नम्बर 699 रकबा 25.95 सिवायचक दर्ज है। वंकिंग खसरा नम्बर 1632 मिन रकबा 7-0-0 नामान्तकरण सख्या 157 दिनांक 15.07.96 से वंकिंग जमाबंदी में मूलचन्द के नाम गैर खातेदार दर्ज है। अतः जवाब श्रीमान की सेवा में पेश है। प्रकरण विचारण के दौरान वादी की मृत्यु हो जाने के कारण प्रफार्मा प्रतिवादीगण को वादी के रूप में संयोजित किया गया। प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :-

1. आया वादग्रस्त आराजी वंकिंग जमाबंदी में वादी के पति के नाम दर्ज थी ?

-- वादी

2. आया वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से व वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण का कब्जा होने से वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी पर खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है ?

-- वादी

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा वादी रवि कुमार के बयान दर्ज करवाये।

राज0 पैरोकार ने पटवारी हल्का के बयान करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :-

<u>तनकी संख्या 1</u> :-

वादी का कथन है कि ग्राम व प0म0 मावशिया के वंकिंग खसरा नम्बर 1632 रकबा 23-8-10 व 1629 रकबा 33-0-0 में से वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी के पति/पिता को दिनांक 30.12.75 को कमशः 7-0-0 व 5-0-0 कुल 12-0-0 भूमि आवंटित हुयी थी। वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 157 दिनांक 15.2.96 की प्रतिलिपि अनुसार मूलचन्द पुत्र रामस्वरूप को वर्किंग खसरा नम्बर 1632 में से 7-0-0 व वंकिंग खसरा नम्बर 1629 में से 5-0-0 भूमि गैर खातेदारी दर्ज की गयी। नामान्तकरण के कालॅम संख्या 14 के अनुसार उक्त आराजी मूलचन्द को दिनांक 30.[illegible] को आवंटित हुयी तथा तहसीलदार नसीराबाद के कमांक/भूअ/96/635 दिनांक 14.0[illegible] व प्रासंगिक आदेश सहायक कलक्टर अजमेर व प्रभारी अधिकारी [illegible] 304/13.2.96 के अनुसार

--3

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:15:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

नामान्तकरण संख्या 157 दिनांक 15.2.96 से वादी के के पति व प्रफार्मा प्रतिवादी के पिता के नाम गैर खातेदारी दर्ज की गयी। उक्त नामान्तकरण के कालॅम संख्या 16 में आवंटी को मौके पर कब्जा संभलाने व मौका पर्चा तैयार करने का नोट भी अंकित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मूलचन्द के नाम उक्त आवंटन राजस्व अभिलेख में जरियें नामान्तकरण दर्ज किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सम्वत् 2058 से 2061 में भी खसरा नम्बर 1629 व 1632 में मूलचन्द का नाम अंकित है तथा सम्वत् 2060 व 261 में उक्त खसरा नम्बर पर काश्त भी दर्ज है। जिससे उक्त आराजी पर वादी के पति व प्रफार्मा प्रतिवादी के पिता का आंवटन व कब्जा प्रमाणित होता है। उक्तानुसार वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज से स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा वंर्किग जमावंदी में वादी के पति के नाम विधिवत दर्ज हुयी थी। वादी के पति को उक्त आराजी के आवंटन को सक्षम न्यायालय में चुनौती देने अथवा आवंटन निरस्त वावत कोई दस्तावेज राज0 पैरोकार ने प्रस्तुत नही किया है। पटवारी हल्का ने भी अपने वयान में आंवटन निरस्त हाने की कोई जानकारी नही होना बताया है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि भूमि का आवंटन होने के बाद जब तक किसी न्यायालय द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त नही किया जाता तव तक आवंटन वैध होता है चाहे उक्त आवंटन की राजस्व अभिलेख में पालना की गयी हो अथवा नही। प्रस्तुत प्रकरण में वादी के पति के नाम गैर खातेदारी दर्ज की गयी है। तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 2</u> :– तनकी संख्या 1 के विवेचन अनुसार वादग्रस्त भूमि का आवंटन वादी के पति व प्रफार्मा प्रतिवादी के पिता को किया गया तथा मोके पर कब्जा व दखल भी सौपा गया। वंर्किग जमावंदी में उक्त आराजी के आवंटन का अमल दरामद जरिये नामान्तकरण संख्या 157 दिनांक 15.2.96 द्वारा किया गया। वादी द्वारा प्रकरण में पूर्व राजस्व अभिलेख खसरा गिरदावरी पेश की है तथा जाहिर किया है कि ग्राम मावशिया की वंर्किग जमावंदी जीर्ण शीर्ण स्थिति में है जिसे पटवारी हल्का ने भी अपने बयान में स्वीकार किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सम्वत् 2058 से 261 में वंर्किग खसरा नम्बर 1629 रकबा 5–0–0 व वंर्किग खसरा नम्बर 1632 रकबा 7–0–0 वादी के पति के नाम दर्ज है। उक्त दोनो खसरा नम्बर में से अन्य व्यक्तियों को भी भूमि का आवंटन होना खसरा गिरदावरी में अंकित है। वंर्किग खसरा नम्बर 1629 में तीन अन्य व्यक्तियों को भी 5–0–0 भूमि प्रत्येक को आवंटन हुआ है। जिसके हाल खसरा नम्बर में उन व्यक्तियों को खातेदार दर्ज किया गया है राज0 पैरोकार के जवाब अनुसार हाल खसरा नमबर हाल खसरा नम्बर 692/2643 रकबा 0.80 मूलचन्द पुत्र रामस्वरूप के नाम गैर खातेदार दर्ज है। अतः हाल खसरा 696 पर खातेदारी के स्थान पर खसरा नम्बर 692/2643 पर गैर खातेदारी प्राप्त हो चुकी है। उक्त खसरा नम्बर वंर्किग खसरा नम्बर 1629 से बना है वंर्किग खसरा नम्बर 1632 के हाल खसरा नम्बर 700 रकबा 0.03, 701 रकबा 1.30 व 699 रकबा 2.46 बने है वादी ने हाल खसरा नम्बर 699 में अनुतोष चाहा है। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा सिवायचक दर्ज है। वादी के पति के नाम आराजी मुतनाजा विधिवत तरीके से दर्ज हुयी थी जो वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व साक्ष्य से होती है। पटवारी हल्का के बयान अनुसार भी वादी के पति व प्रफार्मा प्रतिवादी के पिता को भूतपूर्व सैनिक होने के कारण उक्त आराजी आंवटित हुयी थी। वादी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी में भी वादी के पति का नाम आवंटी के रूप में दर्ज है। नामान्तकरण संख्या 218 [illegible] पुत्र स्वरूप को उक्त आराजी पर खातेदारी अधिकार भी प्रदान कर दिये थे [illegible] आराजी पर गैर खातेदारी से खातेदारी कैम्प प्रभारी मावशिया/01/24 [illegible] वादी द्वारा उक्त गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार [illegible] प्रस्तुत किया है। आवंटी का कब्जा आराजी मुतनाजा पर होने के कारण ही उसे खाते[illegible] अधिकार प्रदान किये गये।

—4

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:15:05 IST
Reason: SelfAttested

राज0 पैरोकार ने प्रकरण में यह स्पष्ट नही किया है कि आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में किस कारण से वादी/पूर्वज की खातेदारी में दर्ज नही की गयी। वादग्रस्त आराजी हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज होने के कारण वादी का वाद पत्र खारिज नही किया जा सकता है जबकि उसके द्वारा उक्त आराजी के आवंटन व कब्जे के समस्त वांछित दस्तावेज न्यायालय में पेश किये है। पत्रावली में ऐसा कोई आदेश उपलब्ध नही है जिसके आधार पर बंदोबस्त विभाग ने उक्त आराजी वादी के पति/पिता के नाम दर्ज नही की है। उक्त आराजी के आवंटन को सक्षम न्यायालय में चुनौती देने अथवा आवंटन निरस्त बाबत कोई दस्तावेज राज0 पैरोकार ने प्रस्तुत नही किया है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि भूमि का आवंटन होने के बाद जब तक किसी न्यायालय द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त नही किया जाता तब तक आवंटन वैध होता है चाहे उक्त आवंटन की राजस्व अभिलेख में पालना की गयी हो अथवा नही। प्रस्तुत प्रकरण में आवंटन का इन्द्राज पूर्व राजस्व अभिलेख में किया गया है। वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। आवंटी को **उक्त आराजी पर खातेदारी अधिकार पूर्व राजस्व अभिलेख में प्रदान किये गये थे ऐसी स्थिति में वादी इन्द्राज दुरूस्ती में खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। तनकी बहक वादी विरूद्व** प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम मावशिया के हाल खसरा नम्बर 699 रकबा 1.12 की आराजी पर वादी का वाद इस आशय से "**स्वीकार**" किया जाता है कि वादी संख्या 1 से 3 को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:15:05 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

पुष्पा देवी बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत :– 88, 188, 92ए राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 95/2021
पेश करने की दिनांक – 11.08.21

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक जितेन्द्र गुर्जर मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम मावशिया के हाल खसरा नम्बर 699 रकबा 1.12 की आराजी पर वादी **का वाद इस आशय से "स्वीकार" किया जाता है कि वादी संख्या 1 से 3 को उक्त** आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 29 माह 5 सन् **2023** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:15:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद